संक्षिप्त समाचार

नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक, 403 दावेदारों ने जताई टिकट की दावेदारी

पावटा (सीमा सन्देश संवाददाता)। पावटा आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर गुरुवार को कस्बे के नहर रोड मैरिज गार्डन में कांग्रेस कार्यकताओं की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महादेव प्रसाद यादव ने की। इस दौरान चुनावी तैयारियों, वार्डवार स्थिति और संभावित प्रत्याशियों को लेकर कार्यकताओं से फीडबैक लिया गया। बैठक में पावटा नगर पालिका चुनाव पर्यवेक्षक किशन बंसल, जसविंदर यादव तथा जिला कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष एवं पावटा ब्लॉक प्रभारी एडवोकेट अंजना यादव मौजूद रहीं। दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक चली बैठक में विभिन्न वार्डो से पहुंचे कार्यकताओं और दावेदारों ने चुनाव को लेकर अपनी बात रखी। नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस की ओर से टिकट की दावेदारी को लेकर कुल 403 आवेदन प्राप्त होने की जानकारी दी गई। इनमें वार्ड संख्या 44 से सबसे अधिक आवेदन सामने आए, जिससे इस वार्ड में टिकट को लेकर मुकाबला खासा दिलचस्प माना जा रहा है। बैठक में पदाधिकारियों ने कार्यकताओं से जमीनी स्तर की स्थिति, वार्डों में संगठन की सक्रियता और संभावित प्रत्याशियों को लेकर फीडबैक लिया। कार्यकताओं ने भी चुनाव में पार्टी को मजबूत स्थिति में लाने को लेकर अपने सुझाव रखे। बैठक के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं संभावित प्रत्याशी मौजूद रहे। पहले दिन हि 403 दावेदारों के सामने आने के बाद अब पार्टी स्तर पर प्राप्त आवेदनों और फीडबैक के आधार पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर आगामी प्रक्रिया पर सभी की निगाहें टिकी हैं।

टोंक के गुरुदेव ज्योतिषाचार्य राजकुमार शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में लखनऊ में ताज पैलेस का भव्य शुभारंभ

विकास, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के संगम का बना यादगार अवसर

टोंक (सीमा सन्देश संवाददाता)। लखनऊ में बुधवार देर शाम आयोजित ताज पैलेस होटल के भव्य उद्घाटन समारोह में सद्गुरु आश्रम टोंक के संस्थापक एंव ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति ने समारोह को विशेष आध्यात्मिक आयाम प्रदान किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में हुए इस आयोजन में टोंक की आध्यात्मिक परंपरा और सनातन संस्कृति की गरिमा भी प्रमुखता से नजर आई। समारोह में गुरुदेव के आशीर्वचन एवं प्रेरणादायी संबोधन से समारोह में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार हुआ। टोंक से वहा कार्यक्रम में बतौर अथिति जुड़े गुरुदेव की उपस्थिति ने इस भव्य आयोजन को टोंक जिले के लिए भी गौरव का विषय भी बना दिया। वहीं, इस समारोह में टोंक के आध्यात्मिक जगत से जुड़े पंडित राजकुमार शर्मा की सहभागिता ने टोंक की आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्रीय मंच पर विशेष पहचान दिलाने वाला अवसर भ्भी प्रदान किया। कार्यक्रम में ताज होटल के सीईओ पुनीत चटवाल, ऐपको इंफ्राटेक के सीईओ अनिल सिंह, फिल्म प्रोड्यूसर नितिन मिश्रा, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक तथा कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह सहित उद्योग, प्रशासन, राजनीति और सिनेमा जगत से जुड़े अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।

कांग्रेस ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, स्व. राजीव गांधी की जयंती

प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी का किया आयोजन

टोंक (सीमा सन्देश संवाददाता)। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न, स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती गुरूवार को सद्भावना दिवस के रूप में जिला कांग्रेस कार्यालय में मनाई गई। इस मोके पर स्वर्गीय राजीव गांध की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके विचार गोष्ठी का आयोजेन किया गया। इस मोके पर पूर्व जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा ने कहा कि राजीव गाँधी ने भारत के युवाओं में केवल भविष्य नहीं देखा बल्कि भविष्य गढ? की शक्ति देखी। उन्होंने कहा कि सद्भावना दिवस पर उस युवा सोच, उस दूरदृष्टि और उस भारत के सपने को नमन जो आज भी हर नई पीढ़ी को आगे बढ? नया सोचने और बड़ा सपना देखने की प्रेरणा देता है। सोशल मीडिया प्रभारी जर्रार खान ने बताया कि महमूद शाह, देवकरण गुर्जर, सेवादल अध्यक्ष अब्दुल खालिक, अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बरकात हसीन, खेल प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष इम्तियाज खान, मनिंदर बेरवा, शबाना बी आदि वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में देहात ब्लॉक अध्यक्ष केलाशी देवी मीणा, कमलेश चावला, पंकज यादव, इरशाद खान, कैप्टन सूरज चौधरी, वासीउल्लाह बेग, मोहनलाल, मोतीलाल बेरवा, हैदर अली, राजीव मिमरोट, मनमोहन गुर्जर, रामदयाल गुनावत, खेमराज दाधीच, नवीन कुमार बेरवा, कोलूराम मोलाईपुरा, फरीद अहमदए जुनैद अहमद, राजेश किराड, रवि चावला, सुरेश गुर्जर, रामावतार टाक सहित अनेक कार्यकर्ता व पदाधिकारियो ने मौजुद रहकर स्वर्गीय राजीव गांधी को याद किया।

कांग्रेसजनों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। कांग्रेसजनों ने उपखंड अधिकारी मालपुरा अंशुल सिंह बेनीवाल को ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुंशी खां, एडवोकेट विवेक व्यास, सौभाग्य सिंह, एडवोकेट भवर मुवाल, एडवोकेट प्रेमचंद सैनी, एड. गीतावलिया, नरेन्द्र जैन, सीताराम सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपखंड अधिकारी मालपुरा अंशुल सिंह बेनीवाल को ज्ञापन सौंप कर मालपुरा शहर के कुछ वार्डों में बिना भौतिक सत्यापन करवाए अवैध रुप से नाम जोड़े जाने संबंधित शिकायत दर्ज करवाई साथ ही मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की।

खाद्य सुरक्षा टीम ने लिए नमूने

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत डिग्गी मेले को देखते हुए खाद्य प्रतिष्ठानों एवं भंडारों का निरीक्षण किया गया। लावा स्थित मैसर्स प्रेमचंद राजेंद्र कुमार, बस स्टैंड के पास का निरीक्षण कर डेयरी स्टार एवं श्री मूल ब्रांड के गाय के घी के दो नमूने लिए गए। निरीक्षण में डेयरी स्टार ब्रांड के452 ग्राम के 12 पैकेट अवधिपार पाए गए, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। वही डिग्गी बस स्टैंड परिसर स्थित कमल रेस्टोरेंट से मावा का नमूना लिया गया।

निकाय चुनाव को लेकर टोंक में भाजपा की संगठनात्मक बैठक सम्पन्न, वार्ड पार्षद का टिकट चाहने वाले दावेदारों की कार्यालय पर उमड़ी भीड़

भाजपा का सबसे मजबूत आधार उसका संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं : कैलाश मेघवाल

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। आगामी निकाय चुनाव को लेकर भाजपा टोंक की महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक जिला कार्यालय टोंक में जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी निकाय चुनाव की तैयारियों, संगठनात्मक गतिविधियों, बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने तथा चुनावी रणनीति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री मेघवाल ने कहा कि भाजपा का सबसे मजबूत आधार उसका संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कार्यकताओं से आह्वान किया कि वे आपसी समन्वय के साथ पूरी ऊर्जा से चुनावी तैयारियों में जुटें और केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर चुनाव में आमजन के बीच जाएं। जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि जिला संगठन निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है, तथा कार्यकताओं की मेहनत, संगठन की मजबूत संरचना और पीएम नरेंद्र मोदी एवं सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों के आधार पर भाजपा जनता के बीच पहुंचेगी। इस मोके पर जिला प्रभारी रामानंद गुर्जर, पूर्व विधायक अजित सिंह मेहता, गणेश माहुर, शंकर लाल ठाड़ा, राजेन्द्र पराणा, सतीश चंदेल, पूर्व जिला प्रमुख सत्यनारायण चौधरी, पूर्व जिला प्रमुख सरोज बंसल, प्रभारी माधोराम चौधरी, कमल मीणा, महामंत्री डॉ. प्रभु बाडोलिया, संतकुमार जैन, शैलेन्द्र चौधरी, राजेश शर्मा, मंडल अध्यक्ष विष्णु चांवला, भगवान सैनी, नीलिमा आमेरा, रामावतार धाभाई, कमलेश यादव, गणेश सैनी, पंकज पहाड़िया, राजू माहेश्वरी आदि मोजुद रहे।

निकाय में भाजपा से टिकट मांगने वालों की कार्यालय पर पहुंची भीड़

टोंक नगर परिषद सहित जिले की कुल 10 निकायों में प्रस्तावित चुनाव को लेकर वार्ड पार्षद का टिकट चाहने वाले दावेदारो की इस दौरान भीड़ उमडी रही, जो अपने-अपने बायो-डाटा लेकर पहुचे थे। जह उमड़ी दावेदारों की भीड़ ने संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में टोंक का राजनीतिक माहौल खासकर भाजपा में और अधिक चुनावी रंग में नजर आएगा।

तुलसी जयंती पर साहित्यिक संगोष्ठी 23 को

पावटा (सीमा सन्देश संवाददाता)। अखिल भारतीय साहित्य परिषद् राजस्थान जिला इकाई कोटपूतली बहरोड़ के तत्वावधान में गोस्वामी तुलसीदास जयंती के उपलक्ष्य में आगामी 23 अगस्त रविवार को साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा कवि महावीर शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 11 बजे आदर्श विद्या मंदिर पावटा में होगा, परिषद् पदाधिकारियों ने बताया कि संगोष्ठी में गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य, भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक मूल्यों एवं समाज में साहित्य की भूमिका पर विचार विमर्श किया जाएगा शर्मा ने बताया जिले के साहित्यकार,कवि, शिक्षाविद्, बुद्धिजीवी एवं साहित्यप्रेमी इसमें सम्मिलित होकर तुलसी साहित्य की प्रासंगिकता पर विचार व्यक्त करेंगे। कार्यक्रम संयोजक कवि महावीर शर्मा 'सरस' एवं सहसंयोजक डॉ॰ विवेक शर्मा ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक चेतना को मजबूत करना है ।

एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ

राजकीय महाविद्यालय मालपुरा
संस्कृत विभाग

सीमा सन्देश संवाददाता

मालपुरा। राजकीय महाविद्यालय, मालपुरा में कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. श्याम सुन्दर पारीक की अध्यक्षता में संस्कृत विभाग के तत्वावधान में भारतीय ज्ञान परम्परा के अध्ययन एवं प्रसार पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। डॉ. श्याम सुन्दर पारीक ने बताया कि राज्य समन्वयक युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा के निदेर्शानुसार विद्यार्थियों को संस्कृत भाषण, श्लोक पाठ, संस्कृत गीत, निबन्ध लेखन प्रश्नोत्तरी, वाद-विवाद, संस्कृत नाट्य प्रस्तुति, भारतीय ज्ञान परम्परा विषयक व्याख्यान, योग एवं वैदिक विज्ञान, पर्यावरण एवं संस्कृत, आयुर्वेद, प्रदर्शनी तथा अन्य रचनात्मक गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु दो सत्रों में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय सत्र की अध्यक्षता कर रहे संस्कृत सहायक आचार्य बुद्धिप्रकाश जांगिड़ ने बताया कि नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत भारतीय ज्ञान परम्परा के अध्ययन एवं प्रसार पर विशेष बल दिया गया है। संस्कृत विभाग द्वारा लगाई गई पंजीयनपीठम् में 100 से अधिक विद्यार्थियों ने पंजीयन कर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस अवसर पर सहायक आचार्य साहिस्ता अंसारी, श्योराम जाट, शिवराज गुर्जर, कृष्णगोपाल धाकड़, छीतरलाल माली, सलमा बानो, राजूलाल जाट, सुखपाल गुर्जर आदि सदस्य मौजूद रहें।

शिक्षा विभाग के आदेश के विरोध में आईएफडब्लूजे ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

शिक्षण संस्थानों में मीडिया पाबंदी जैसे तुगलगी फरमान का जताया विरोध

सीमा सन्देश संवाददाता

टोंक। इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्टस टोंक के तत्वाधान में राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही ने विद्यालयों में फोटोग्राफी एवं वीडियो ग्राफी करने पर लगाए गए प्रतिबंध के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नाम जिला कलेक्टर टीना डाबी को ज्ञापन दिया गया। जिला शाखा टोंक के जिलाध्यक्ष प्रेम रघुवंशी के नेतृत्व में पत्रकारों द्वारा दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय में बाहरी व्यक्तियों द्वारा क्लास रूम अथवा विद्यालय भवन की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करने को प्रतिबंधित करते हुए संस्था प्रधान की अनुमति को अनिवार्य किया गया है । ज्ञापन में इसे प्रेस की स्वतंत्रता, जनहित में पत्रकारिता तथा जनता के सूचना के अधिकार के लिए गंभीर रूप से चिंताजनक बताया है। आईएफडब्ल्यूजे ने लोकतंत्र विरोधी इस आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। इस मौके पर मनोज तिवारी, विनोद शर्मा, जलालुद्दीन खान, राहुल राजवंशी, भूपेंद्र सिंह सोलंकी , नासिर खान, केशव सेन, रोहित आदि कई पत्रकार मौजूद रहे।

नगर पालिका चुनाव को लेकर उपखंड अधिकारी अंकुर सिंह बेनीवाल ने की प्रेस वार्ता

मालपुरा (सीमा सन्देश संवाददाता)। मालपुरा नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर उपखंड अधिकारी मालपुरा अंशुल सिंह बेनीवाल ने गुरुवार उपखंड अधिकारी कार्यालय में पत्रकार वार्ता की। आगामी दिनों में आयोजित होने वाले नगर पालिका चुनाव के अंतर्गत आदर्श आचार संहिता व चुनाव सम्बंधित जानकारी देकर आवश्यक चर्चा की। उपखंड अधिकारी अंकुश सिंह बेनीवाल ने बताया कि मालपुरा नगर पालिका में 40 वार्ड है और 40 वार्डों के मतदान के लिए46 बूथ बनाए गए हैं वहीं डिग्गी नगर पालिका में 25 वार्ड है मतदान के लिए 25 बूथ बनाए गए हैं एवं लाम्बाहरिसिंह नगर पालिका में 20 वार्ड है मतदान के लिए 20 बूथ बनाए गए हैं। एसडीएम बेनीवाल ने बताया कि मालपुरा नगर पालिका चुनाव के लिए आरओ अतिरिक्त जिला कलेक्टर मालपुरा नरेन्द्र कुमार मीणा, वहीं डिग्गी नगर पालिका आर ओ मालपुरा एसडीएम मालपुरा अंकुर सिंह बेनीवाल वहीं लांबाहरि सिंह आरओ मनस्वी नरेश को लगाया गया है। उपखंड अधिकारी अंकुर सिंह बेनीवाल ने बताया कि आदर्श आचार संहिता नगर पालिका क्षेत्र में ही लागू रहेगी।

23 अगस्त को पाथरेड़ी में धार्मिक रागनी कॉम्पिटिशन व भंडारा

पावटा (सीमा सन्देश संवाददाता)। ग्राम पुरानी पाथरेड़ी के प्राचीन शिवालय बाबा भूतेश्वर नाथ एवं धरतरी नाथ बाबा के आश्रम में पांचवां विशाल भंडारा ग्रामवासियों, भामाशाहों एवं श्रद्धालुओं के सामूहिक सहयोग से आयोजित होगा। भंडारे के साथ धार्मिक रागनी कॉम्पिटिशन का भी आयोजन होगा, जिसमें हरियाणा के प्रसिद्ध गायक कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं का मनोरंजन करेंगे। एडवोकेट प्रेम प्रकाश शर्मा पाथरेड़ी ने बताया कि धार्मिक आयोजन रविवार, 23 अगस्त को सुबह 11 बजे से ग्राम पुरानी पाथरेड़ी में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में हरियाणा की मशहूर गायक कलाकार राजबाला बहादुरगढ़, निशा जांगड़ा, प्रवेश शर्मा एवं नानगराम सहित प्रसिद्ध डांसर अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उन्होंने बताया कि आयोजन का उद्देश्य बाबा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के साथ ग्रामीणों और श्रद्धालुओं को धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम से जोड़ना है। कार्यक्रम में क्षेत्र के बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे की व्यवस्था की गई है। आयोजकों ने क्षेत्रवासियों, श्रद्धालुओं एवं धर्मप्रेमी लोगों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचकर बाबा भूतेश्वर नाथ एवं धरतरी नाथ बाबा के दर्शन करने, प्रसादी ग्रहण करने और धार्मिक रागनी कार्यक्रम का आनंद उठाने का आह्वान किया है।

त्योहारों के मद्देनजर खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान

निरीक्षण के दौरान 25 किलोग्राम पुरानी एवं दूषित मिठाइयां पाई गई, मौके पर ही नष्ट करवाया

पावटा (सीमा सन्देश संवाददाता)। जिला कलेक्टर के निर्देशन में त्योहारों के सीजन को देखते हुए मिठाइयों एवं अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत बुधवार को पावटा में खाद्य सुरक्षा टीम द्वारा मैसर्स शिवम बेकरी रसगुल्ला भण्डार से रसगुल्ला, मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार से मलाई बर्फी एवं मिल्क केक तथा मैसर्स जोधपुर मिष्ठान भण्डार से मिश्री मावा के नमूने लिए गए। निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित मिष्ठान भण्डारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी किए गए। साथ ही निरीक्षण के दौरान 25 किलोग्राम पुरानी एवं दूषित मिठाइयां पाई गईं, जिन्हें मौके पर ही नष्ट करवाया गया। गांव दादूका, कोटपूतली में तेल मिल की शिकायत पर भी कार्रवाई की गई। टीम ने मैसर्स रोशन किराणा स्टोर से तेल तथा मैसर्स सैनी मिष्ठान भण्डार एवं मैसर्स श्री बालाजी डेयरी प्रोडक्ट्स से मिल्क केक के नमूने लिए। निरीक्षण के दौरान गांव दादूका स्थित तेल मिल में साफ-सफाई नहीं पाई गई तथा फर्म मैसर्स रोशन किराणा स्टोर के पास खाद्य अनुज्ञा-पत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा उक्त फर्म को खाद्य अनुज्ञा-पत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र बनवाने एवं परिसर में साफ-सफाई रखने के लिए पाबंद किया गया तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत इम्प्रूवमेंट नोटिस दिया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सभी खाद्य कारोबारकताओं से अपील की गई है कि जिनके पास खाद्य अनुज्ञा-पत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र नहीं है, वे शीघ्र अपना पंजीयन करवाएं। बिना खाद्य अनुज्ञा-पत्र/खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र के खाद्य कारोबार करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आमजन से भी अपील की गई है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खाद्य मिलावट की जानकारी मिलने पर खाद्य सुरक्षा विभाग को सूचित करें। कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा, नेहा शर्मा एवं राज सिंह चौहान सहित टीम के सदस्य मौजूद रहे।

चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

निगम कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सुपर बी, सी54 और सी 55, 4, थिरू Vi का इंडस्ट्रियल इस्टेट, गुईंडी, चेन्नई-600 032

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(I) के अधीन]

चूंकि **मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरकर्ता ने प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों की पालना में धारा 13(2) के अधीन डिमांड नोटिस जारी कर नीचे उल्लेखित ऋणधारकों **(नाम व पते नीचे दिये गये हैं)** को नोटिस में उल्लेखित बकाया राशि व उस पर ब्याज उक्त नोटिस प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए बुलाया था। नीचे उल्लेखित ऋणधारक राशि चुकाने में असफल रहे हैं, यहां नीचे उल्लेखित ऋणधारकों तथा जन सामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 में उसे मिली शक्तियों की अनुपालना में यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। ऋणधारकों को विशेष रूप से तथा जन सामान्य को यहां सावचेत किया जाता है कि इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के साथ कोई भी सौदा नीचे उल्लिखित राशि व इस पर ब्याज के लिए **मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा। ऋणधारक का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर दिलाते हुए उपलब्ध समय में उन्हें सुरक्षित आस्तियों को मुक्त करवाने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

ऋणधारक/ों का नाम और पता व ऋण/खाता सं.	डिमांड नोटिस की तिथि	ओ/एस राशि	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जे की तिथि
ऋण खाता संख्या LAP4RAJ000129814 **1. श्री/श्रीमती राजेन्द्र सिंह राठौड़ (उर्फ) राजेन्द्र राठौड़** **2. श्री/श्रीमती भैरू सिंह** **3. श्री/श्रीमती सुशीला कंवर** **4. श्री/श्रीमती दुले सिंह** **पता : केरिंग का खेड़ा, पड़ासली, मैन रोड, राजसमंद, राजस्थान - 313334** **यहां भी :** पट्टा नंबर 036, अराजी नं. 462, गांव केरिंग जी का खेड़ा, ग्राम पंचायत - पडासली, उपलब्ध नहीं, केरिंग जी का खेड़ा, राजसमंद, राजसमंद, राजस्थान, 313333	11-06-2026	11.06.2026 के अनुसार रुपये 2186870/- (रुपये इक्कीस लाख छियासी हजार आठ सौ सत्तर मात्र)	ग्राम पंचायत पड़ासली, जिला-राजसमंद, राजस्थान के आराजी नं. 462, पट्टा नं. 36, ग्राम केरिंग जी का खेड़ा स्थित आवासीय संपत्ति का भूखंड के समस्त खंड एवं हिस्से। कुल क्षेत्र 1875.75 स्क्वै. फीट है और सीमाबद्ध : - पूर्व - देवी सिंह का मकान, पश्चिमः - हरि सिंह का मकान, उत्तरः - आम रास्ता, दक्षिणः - नवल सिंह का मकान	18-08-2026 (कब्जा)

स्थान : राजसमंद
तिथि : 18-08-2026

हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी,
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

टोंक नगर परिषद सहित 10 नगर निकायों में 405 मतदान केंद्र स्थापित

- **जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ ली बैठक,**
- **प्रलोभन के लिए नकदी, शराब, ड्रग्स आदि फ्री सामग्री का नही करे वितरण**

टोंक (सीमा सन्देश संवाददाता)। नगर निकाय चुनाव-2026 की घोषणा के साथ ही शहरी क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) टीना डाबी ने जिले के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर चर्चा की। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चुनाव तिथियों के मुताबिक जिले के नगर निकायों में 2 चरणों में 9 व 11 सितम्बर को मतदान होगा। जिसके लिए 10 नगर निकायों में 405 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनैतिक प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर पूर्ण रुप से प्रतिबंध रहेगा। मतदाता एवं आम नागरिकों को प्रलोभन के लिए नकदी, शराब, ड्रग्स, बहुमूल्य धातु, फ्री सामग्री आदि का वितरण नहीं किया जाएं। साथ ही ऐसी कोई भी गतिविधि आयोजित नहीं करें जिससे विभिन्न जातियों, समुदायों, धार्मिक समूहों के बीच मतभेद या, आपसी घृणा या तनाव पैदा हो।

आदर्श आचार संहिता की पालना के निर्देश : नगर निकाय चुनाव-2026 के तहत आदर्श आचार संहिता की अक्षरशः पालना के लिए कलक्टर टीना डाबी ने सभी प्रकोष्ठ प्रभारी एवं सह प्रभारियों को निर्देश जारी किए है। उन्होने बताया कि आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला नियंत्रण कक्ष 01432-247400 बनाया गया है, जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा। तहसीलदार एपीआरटीएस कमलेश जैन नियंत्रण कक्ष प्रभारी अधिकारी एवं महात्मा गांधी रा. उ. मा.वि. के वरिष्ठ अध्यापक प्रदीप धतुरिया सहायक प्रभारी बनाया है। नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष नंबर 01432-247400 है।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः छठी मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा टूएनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
ब्रांच ऑफ यूनिट : प्रथम तल, 1-सी-18, एसएफएस, शीला चौधरी रोड, तलवंडी, कोटा, राजस्थान-324007

ई-नीलामी- बिक्री सूचना
सरफेसी अधिनियम के तहत
सुरक्षित अचल आस्ति की बिक्री

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002(अधिनियम) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा जनसामान्य को और विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/बंधककर्ता(ों)/जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (इसके बाद अधिनियम के अनुसार 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में संदर्भित किया है) के पास बंधक रखा है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस की पालना में अधिनियम की धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम के नियम 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त कर लिया है। **सुरक्षित आस्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से 22.09.2026 को 'जो है जहां है', 'जो है क्या है' और 'वहां जो भी है'के आधार पर बेचा जाएगा। एतद्द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइटः https://www.bankeauctions.com. पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

क्र सं.	प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि (बी)	कब्जे का प्रकार(सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10 प्रतिशत) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि(जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण तिथि व समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/ कोर्ट केस, यदि कोई हो, (के)
1.	ऋण संख्या HL0019900000005005859 **चेतन कुमार (ऋणधारक)** **रामधनी बाई (सह-ऋणधारक)**	**नोटिस दिनांकः 07.01.2025** **कुल बकायाः रु. 185756/-** (रुपये एक लाख पिचासी हजार सात सौ छप्पन मात्र) **07.01.2025** के अनुसार देय व इसपर भुगतान तक @14 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित	**भौतिक**	ग्राम सानीजा बावड़ी, ग्राम पंचायत खेरुला, पंचायत समिति सुल्तानपुर, जिला कोटा, राजस्थान (खसरा नं. 222 का भाग) में स्थित पट्टा नं. 07808 के समस्त खंड एवं हिस्से, मापन 1000 स्क्वै. फीट, और मकान/प्लॉट की सीमाएंः पूर्व - राम दयाल, पश्चिम - चंद्र मोहन मीणा, उत्तर - रास्ता, दक्षिण - देव लाल मेघवाल	रु.409500/- (रुपये चार लाख नौ हजार पांच सौ मात्र)	रु. 40950.00/- (रुपये चालीस हजार नौ सौ पचास मात्र)	21.09.2026 सायं 5 बजे से पहले	10,000/-	16.09.2026 (प्रातः 11- सायं 4 बजे)	22.09.2026 (प्रातः 11- सायं 2)	निल
2.	ऋण संख्या HF0201H20100137 **नाहर सिंह राणावत (ऋणधारक)** **लीला कंवर (सह-ऋणधारक)**	**नोटिस दिनांकः 10.05.2025** **कुल बकायाः रु. 1111494/-** (रुपये ग्यारह लाख ग्यारह हजार चार सौ चौरानवे मात्र) **10.05.2025** के अनुसार देय व इसपर भुगतान तक @13.35 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित	**भौतिक**	ग्राम पंचायत रूपाहेली, पंचायत समिति सुवाना, जिला भीलवाड़ा में स्थित पट्टा नं. 21 की संपत्ति के समस्त खंड एवं हिस्से (अधिमापन क्षेत्र 2256.00 स्क्वै. फीट) (जिसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा गया है), और चारों सीमाएं इस प्रकार हैंः पूर्व : आम रास्ता, पश्चिमः श्री शंकर सिंह पुत्र श्री सज्जन सिंह की संपत्ति, उत्तरः श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी श्री तेज सिंह की संपत्ति, दक्षिणः खुद की संपत्ति	रु. 1703100.00/- (रुपये सत्रह लाख तीन हजार एक सौ मात्र मात्र)	रु. 170310/- (रुपये सत्रह लाख तीन सौ दस मात्र)	21.09.2026 सायं 5 बजे से पहले	10,000/-	16.09.2026 (प्रातः 11- सायं 4 बजे)	22.09.2026 (प्रातः 11- सायं 2)	निल

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी स्वयं की पूछताछ करें और अतिरिक्त प्रभारों, भारों और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोलियां जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति करों, बिजली/पानी का बकाया और संपत्ति से जुड़ा कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड **पता- प्लॉट नंबर-68 तृतीय तल गुड़गांव हरियाणा-122003. हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी Support@bankeauctions.com संपर्क व्यक्ति धारनी पी, ईमेल आईडी- dharani.p@c1india.com संपर्क नंबर- 9948182222** से अग्रिम रूप से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को पंचशील टेक पार्क, गणपति चौक के पास, 43/44 विमान नगर-411014 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के नीलामी आय खाता **बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड खाता संख्या-09155100028 और आईएफएससी कोड- ICIC0000915** के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करना आवश्यक है, या उससे पहले जैसा कॉलम (जी) में संदर्भित किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर आहरित किया और **https://www.bankeauctions.com** पर अपना नाम 21.09.2026 या इससे पहले पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए **यहां पता - प्रथम तल, 1-सी-18, एसएफएस, शीला चौधरी रोड, तलवंडी, कोटा, राजस्थान- 324007, मोबाइल नं. +91 8281138143 ई-मेल आईडी p.adith@grihumhousing.com** को ई-मेल व स्व-अभिप्रमाणित हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता है। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु नियम व शर्तों के अधिक विवरण के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com या **www.grihumhousing.com** पर जाएं।

यह सूचना ऋणधारक/सह-ऋणधारक/बंधककर्ता(ओं) जमानतदार(ों) को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम - 2002 के के नियम 8(6) के अधीन 30 दिनों के नोटिस के रूप में भी ली जाये।

किसी भी स्थिति में यदि स्थानीय भाषा के प्रकाशन और अंग्रेजी अखबार के प्रकाशन की सामग्री में कोई अंतर होता है, तो द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अंग्रेजी अखबार की सामग्री मान्य होगी।

दिनांकः 21.08.2026
स्थानः राजस्थान

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी,
गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड